रतनलाल बनाम स्टेट व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03-06-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित व राजपेरोकार उपस्थित। जबाब हेतु राज पेरोकार को काफी समय दिया जा चुका है फिर भी जबाब प्रस्तुत नहीं करने की सूरत में जबाब बन्द किया जाता है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा नामान्तकरण सं. 1107 मुताबिक दस्तावेज राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है जो काबिले खारिज है इसलिये नामान्तकरण सं. 1107 निरस्त किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि दुर्गादेवी पत्नी बजरंग के नाम शेखचुलिया की कुल 14.094 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। दुर्गादेवी ने उक्त भूमि के अलग–अलग दानपत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 8 के पक्ष में अलग–अलग हक हिस्सा व आसा पासा दर्शाते हुए निस्पादित करवाये थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में दानपत्र का नामान्तकरण करते समय भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 8 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा तथा दुर्गा देवी स्वयं का 2/9 हिस्सा सांझा में दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया है जबकि दानपत्र में भूमि के विवरण में अलग–अलग आसा पासा दर्शाये गये थे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण 1107 दिनांक 19.08.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार पल्लू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दानपत्रो का अवलोकन कर पुनः विधिनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 03.6.2024 को सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	